संख्या-9/2016/161/71-1-2016-जी-52/2014

प्रेषक

संजय कुमार उपाध्याय,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 25 जनवरी, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में फायर हाईड्रेन्ट सिस्टम, फायर एलार्म सिस्टम की स्थापना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में फायर हाईड्रेन्ट सिस्टम, फायर एलार्म सिस्टम की स्थापना हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 483.46 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष रू0 86.88 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-15/567/71-1-14-जी-52/2014, दिनॉक 01-10-2014 द्वारा प्रदान की गयी है तथा रू0 154.85 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-62/2015/626/71-1-15-जी-52/2014, दिनॉक 24-03-2015 द्वारा प्रदान की गयी है। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु अब तक कुल रू0 241.73 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2015-16/672, दिनॉक 18-01-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में फायर हाईड्रेन्ट सिस्टम, फायर एलार्म सिस्टम की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत 24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 5,00,75,000/- (रू0 पॉच करोड़ पचहत्तर हजार मात्र) में से रू0 1,39,19,000/- (रू0 एक करोड़ उनतालीस लाख उन्नीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष् प्रदान करते है:-

1- प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित फायर फाइटिंग संबंधी कार्यो का इन्स्ट्रालेशन एवं निर्माण आदि मेडिकल कालेज/अस्पताल की रनिंग कंडीशन में ही कराया जाना होगा। अत- प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य विभिन्न विभागाध्यक्षों से समन्वय कर इस प्रकार सुनियोजित किये जाये कि कार्य करने के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।

2- प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर द्वारा कार्यदायी संस्था से अग्निशमन विभाग एवं यथावश्यक किसी अन्य संबंधित काम्पीटेन्ट अथारिटी से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- आगणन में प्रस्तावित प्रोपराइटरी संबंधी कार्य मदों में व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाय तथा उक्त् मद में वास्तविकता के आधार पर धनराशि स्वीकृत की जाय।

4- चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए एक अनुश्रवण समिति का गठन कर दिया जाय तथा इसी अनुश्रवण समिति की देख-रेख में निर्माण कार्य सम्पादित कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- परियोजना में प्रस्तावित विशिष्टियॉ में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

6- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

7- परियोजना में प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य का होगा।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

9- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृति धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक आदि में नहीं रखा जायेगा एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 30-03-2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

10- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जाएगा। आगणन में उल्लिखित एक प्रतिशत लेवर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-43-मेडिकल कालेज, गोरखपुर-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनॉक 30 मार्च, 2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

संख्या:-9/2016/161(1)/71-1-2016 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
3- कोषाधिकारी, गोरखपुर।
4- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
6- परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, यूनिट-19, गोरखपुर।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- संबंधित समीक्षाधिकारी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।